प्रथम अपील अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम
एवं जिला कलक्टर उदयपुर
निर्णय द्वारा अध्यासित नमित मेहता आई.ए.एस.

प्रकरण संख्याः **92/2025** (अपील सूचना का अधिकार)
शांतिलाल रावत पिता तेजा जी रावत निवासीः डोरी फलां (सूरखण्ड) आकोला, तहसील–कानोड़, उदयपुर

...............**अपीलार्थी**

बनाम

सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार कानोड़, उदयपुर

...................**प्रत्यर्थी**

प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 08/07/2025

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत एक अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 03.04.2025 को प्रत्यर्थी के कार्यालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सूचना चाही गई। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को चाही गई सूचना उपलब्ध नही करायी जाने से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी से अपील पर जवाब तथा सूचना उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय के पत्रांक रीडर/सू.अ.2005/प्रथम अपील/92/25/617–18 दिनांक 16.06.2025 से लिखा गया। प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब शामिल पत्रावली किया गया।

सहायक लोक सूचना अधिकार एवं तहसीलदार कानोड़ द्वारा जरिये पत्रांकः सू. अ./2025/336 दिनांक 07.07.2025 से प्रत्युत्तर प्रस्तुत करते हुए न्यायालय को अवगत कराया गया कि प्रार्थी द्वारा कार्यालय हाजा में उपस्थित होकर सूचना कां अधिकार अधिनियम 2005 के सूचना चाहने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया था। प्रार्थी द्वारा पटवार हल्का आकोला के वर्तमान खसरा संख्या 899/504 पर उपखण्ड अधिकारी भीण्डर तथा कार्यालय हाजा के आदेश क्रमांक भू.अ./2023/1028 दिनांक 08.12.2022 की पालना में की गई कार्यवाही के मौकापर्चा की प्रमाणित प्रति चाही गई थी। प्रार्थी को चाही गई सूचना उपलब्ध करवा दी गई है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार कानोड़ द्वारा जरिये पत्रांक 262 दिनांक 30.05.2025 से अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध करवाई जा चुकी है। सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार कानोड़ द्वारा न्यायालय में प्रेषित जवाब के विपरीत अपीलार्थी की ओर से किसी प्रकार की आपत्ति/प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है। ना ही अपीलार्थी सुनवाई के दौरान उपस्थित हुये है। ऐसी स्थिति में यह माना जाना उचित होगा कि प्रत्यर्थी द्वारा प्रेषित

जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपील अधिकारी
उदयपुर

प्रत्युत्तर/सूचना अपीलार्थी को प्राप्त हो गई है तथा वह प्रत्यर्थी के जवाब से संतुष्ट है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19(1) के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 08/07/2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर, उदयपुर

(नमित मेहता)
प्रथम अपील अधिकारी,
सूचना का अधिकार अधि. एवं
जिला कलक्टर, उदयपुर